

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

कमांक 13 अ-82/16-17/ठानीमाल/10441 बैतूल दिनांक ²⁵ 8.2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।


विषय:- ग्राम ठानीमाल तहसील बैतूल के भू-अर्जन प्रकरण में
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(शशांक मिश्र)
कलेक्टर एवं

पृ0क0 13 अ-82/2016-17/10441

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- उप मुख्य अभियन्ता मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा0) को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- तहसीलदार बैतूल को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्ररूप- ख
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- | | |
|---|---|
| 1- परियोजना का नाम | - उप मुख्य अभियंता(नि.) मध्य रेल्वे अजनी नागपुर |
| 2- लोक प्रयोजन | - रेल्वे तीसरी लाइन |
| 3- स्थल | - ठानीमाल |
| 4- परियोजना का क्षेत्र | - ठानीमाल |
| 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया | - तीसरी लाईन इटारसी से नागपुर के बीच मध्य रेल्वे लाइन बिछाने के संबंध में |
| 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता | - उप मुख्य अभियंता(नि.) मध्य रेल्वे अजनी नागपुर |
| 7- परियोजना निर्माण के चरण | - प्रथम एवं अंतिम |
| 8- परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे | - प्रकरण में संलग्न है। |
| 9- परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि | - 0.049 हे. |
| 10-भूमि का मूल्य | - 4,80,000/- प्रति हे.सिंचित |
| 11-प्रभावित परिवारों की संख्या | - 1 |
| 12-परिसम्पत्तियां:- | |
| लोक सम्पत्ति भूमि निरंक हे. भवन निरंक अन्य | |
| निजी सम्पत्ति भूमि 0.049 हे. भवन निरंक अन्य | |
| 13-विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या | - निरंक |
| जिनकी भूमि अर्जित हुई | |
| ग्राम निरंक परिवारों की संख्या निरंक | |
| 14-सामाजिक समाघात | |
| (क) समाघातों का विवरण | - निष्कर्ष में उल्लेखित है। |
| (ख) समाघातों की संकेतक सूची | - निरंक |
| 15-विकल्प जिन पर विचार किया गया | |
| (क) यदि हां- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? - लोक प्रयोजन हेतु | |
| (ख) यदि नहीं- तो क्यों ? | - निरंक |


निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित नहीं हो रही है
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


(सदस्य)
अधिवक्ता


(सदस्य)
उपवन मंडलाधिकारी
बैतूल


(सदस्य)
अनुविभागीय अधिकारी
पी.डब्ल्यू.डी.बैतूल


(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बैतूल
14/12/17